

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1596 / 2017 / उदयपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, घट-प्रथम, बांसवाडा.

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स रीजन पॉवरटेक प्रा.लि.,
उदयपुर.

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा, उप राजकीय अभिभाषक.
श्री वी.के.पारीक, अभिभाषक.

.....अपीलार्थी की ओर से
.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 24 / 09 / 2018

निर्णय

1. अपीलार्थी-विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 254 / VAT / 2015-16 / उदयपुर में पारित आदेश दिनांक 14.07.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, घट-प्रथम, बांसवाडा (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.01.2016 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(6) तहत आरोपित शास्ति राशि रूपये 1,79,271/- को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, बांसवाडा (जिसे आगे "जांच अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 06.01.2016 को वाहन संख्या RJ-27-GB-6492 को खेरवाडा टोल नाके के पास रोक करु चैक किया गया। वाहन में अधिसूचित माल HOLLOW SHAFT (ELECTRIC GOODS) का परिवहन किया जा रहा था। जांचकर्ता अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर माल प्रभारी/वाहन चालक द्वारा परिवहनित माल से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। जांच अधिकारी द्वारा उक्त दस्तावेजों में पाया कि ईनवॉइस में बिल राशि रूपये 5,97,569/- है, जबकि प्रपत्र E47A050116631700 में यह राशि 5,63,651/- है, जो कि इनवॉइस राशि से किसी तरह से मेल नहीं खाती है। जांच अधिकारी द्वारा इसे धारा 76(2)(बी) सपठित नियम 53(1) का उल्लंघन मानकर अभियोग बनाकर पत्रावली कर निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित कर दी। कर निर्धारण अधिकारी ने पत्रावली का अवलोकन कर प्रत्यर्थी व्यवहारी को अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपण किये जाने हेतु नोटिस जारी किया। उक्त नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया, जिससे असंतुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति आदेश दिनांक 11.01.2016 पारित करते हुए शास्ति राशि रूपये 1,79,271/- का आरोपण कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उन्होंने अपने आदेश दिनांक 14.07.2017 द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश

निरन्तर.....2

से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि जांच अधिकारी द्वारा वाहन चैक किया गया, जिसमें अधिसूचित माल HOLLOW SHAFT (ELECTRIC GOODS) के साथ नियम 53(1) की पालना में प्रपत्र ई-47ए नहीं पाया गया। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने उचित रूप से शास्ति का आरोपण किया है। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपास्त करते हुए अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से उनके अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर बहस के दौरान कथन किया कि वक्त जांच परिवहनित माल के साथ सभी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज मौजूद थे, लेकिन वैट-47ए संख्या E47A050116631700 में इन्वॉइस बिल राशि रुपये 5,97,569/- के स्थान पर 5,36,651/- अंकित हो गई थी, जो कि एक लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी में आता है, जिस पर कर निर्धारण अधिकारी ने अविधिक रूप से शास्ति का आरोपण कर दिया। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया, एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अध्ययन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वक्त जांच परिवहनित माल के साथ आवश्यक दस्तावेज मौजूद थे, लेकिन वैट-47ए संख्या E47A050116631700 में इन्वॉइस बिल राशि रुपये 5,97,569/- के स्थान पर 5,36,651/- अंकित हो गई थी। जो कि एक लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी में आता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त वैट-47ए की पूर्ण रूप से जांच नहीं की गई, मात्र संदेह के आधार पर शास्ति का आरोपण कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि इसी वाहन में बिल संख्या 1035 दिनांक 02.01.2016 की राशि रुपये 87,33,69/- सही रूप में वैट-47ए में अंकित की गई है। अतः बिल संख्या 1030 की राशि 5,97,569/- के स्थान पर रुपये 5,36,651/- होना मात्र लिपिकीय त्रुटि ही है क्योंकि इस बिल का पूरा विवरण वैट-47ए में दर्ज है। यदि व्यवसायी की करापवंचन की मंशा होती तो इस बिल को वैट-47ए में इन्द्राज क्यों करता? अतः मात्र बिल राशि रुपये 5,97,569/- के स्थान पर रुपये 5,36,651/- अंकित किया जाना प्रथम दृष्टया ही लिपिकीय भूल के अलावा कुछ नहीं है। इस त्रुटि को धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन माना जाना पूर्णतया विधिसंगत नहीं है अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश में विस्तृत विवरण देकर आदेश पारित किया है, जिसमें कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

7. कर निर्धारण आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी ने शास्ति कायम करने के लिए कोई ठोस आधार नहीं बताया है एवं समस्त कार्यवाही मात्र संदेह, संयोग एवं शक के आधार पर की गई। माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्टेट ऑफ केरला बनाम एम.एम.मैथ्यू व अन्य (1978) 42 एसटीसी 348 में निम्न प्रकार से अभिनिर्धारित किया है :-

".....Strong suspicion, strange coincidences and grave doubts cannot take the place of legal proof to establish the charges against the respondent, it was essential for the prosecution to establish that the secret books of account related to the business transactions carried on by the respondents and none else....."

उपरोक्त तथ्यात्मक एवं अविधिक स्थिति के परिपेक्ष्य में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश उचित प्रतीत नहीं होता है।



8. अतः माननीय राजस्थान उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.07.2017 में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से यथावत् रखा जाता है।
9. परिणामस्वरूप अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।
निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य